आर.सी.एम.एस. नम्बर 2008/00085

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत ईस्तकरारहक एवं हुक्मईम्तनाई दवामी

पर्चा डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 287/2008 (सुभाषचन्द्र वगैरह बनाम मांगेलाल वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 24.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.05.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर कस्बा बिसाऊ पटवार मण्डल बिसाऊ स्थित भूमि गत आराजी खसरा नम्बर 370 तादादी 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 394 तादादी 3 बीधा 17 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 394 तादादी 11 बिश्वा कुल किता 3 कुल तादादी 4 बीधा 14 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.20 है0 में वादी संख्या 1 व 4 को संयुक्त रूप से 1/3, वादी संख्या 2 को 1/3 व वादी संख्या 3 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 5 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वादीगणों को भूमि के उपयोग उपभोग में दखल नहीं करेंगें।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.05.2022 को जारी की गई।

24/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 287/2008

1. सुभाषचन्द्र पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल मुम्बई
2. ऋषि कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन मु. लक्ष्मीबाई जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल मुम्बई
3. चन्द्र मोहन पुत्र राधाकिशन जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल मुम्बई
4. मु. गंगाबाई पत्नी मदनलाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल मुम्बई
5. पृथ्वीराज पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल मुम्बई
6. अनिल कुमारपुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल मुम्बई
7. संजय कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल मुम्बई

वादीगण न0 2 ल0 7 की ओर से मुख्तयार खास सुभाषचन्द्र पुत्र मदनलाल जामि महाजन

वादीगण

बनाम

1. मांगेलाल पुत्र परसाराम जाति ब्राहमण निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर
2. विजय कुमार पुत्र परसाराम जाति ब्राहमण निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर
3. उप पंजीयक मलसीसर
4. नगरपालिका बिसाऊ
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर
6. हुनताराम पुत्र आत्माराम जाति ब्राहमण निवासी बिसाऊ
7. रामावतार पुत्र आत्माराम जाति ब्राहमण निवासी बिसाऊ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत ईस्तकरारहक एवं हुक्मईम्तनाई दवामी

विद्वान अधिवक्ता वादी – श्री विनोद कुमार गिल

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी – श्री जाफर अली

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.05.2022

संक्षेप में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिसाऊ में रामप्रताप जाति महाजन नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। रामप्रताप के वारिसान का सजरा वादपत्र की धारा 1 में वर्णित किया गया है। रामप्रताप की वंशावली के अनुसार वादीगण रामप्रताप के वारिस है।

संख्या 2 से 7 अधिकांश मुम्बई में रहते है इस कारण वादीगण यह दावा मुख्तयार खास वादी नं 1 के मार्फत कर रहे है। कस्बा बिसाऊ मे गत आराजी खसरा नम्बर 370 तादादी 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 394 तादादी 3 बीधा 17 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 394 तादादी 11 बिश्वा कुल किता 3 कुल तादादी 4 बीधा 14 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.20 है0 अवस्थित है। कस्बा बिसाऊ में एक गंगाबिशन नाम का व्यक्ति हुआ जिसका सजरा वादपत्र की धारा 3 में अंकित किया गया है।

रामेश्वर, बैजनाथ व जगदेव का पहले संयुक्त हिन्दू परिवार रहा। जिसका मुखिया रामेश्वरलाल रहा। रामेश्वरलाल के देहान्त होने पर उसके पुत्र श्रीरू तथा बैजनाथ व जगदेव का संयुक्त हिन्दु परिवार रहा। बैजनाथ व जगदेव व्यापार के सिलसिले में मुम्बई रहते थे। इस कारण कस्बा बिसाऊ की चल अचल सम्पति की देखभाल पहले रामेश्वर व उसके पश्चात उसका पुत्र श्रीरू करता था। वादग्रस्त भूमि तत्कालीन ठिकाना बिसाऊ के तहत की जमीन थी जो तत्कालीन ठिकाना बिसाऊ द्वारा वादीगण के पूर्वजों को माफी में दी थी। उपरोक्त संविदा के समय कस्बा बिसाऊ में श्रीराम उर्फ श्रीरू अकेला रहता था इसलिये राजस्व रिकार्ड अकेले श्रीराम वल्द रामेश्वर कौम महाजन साकिन बिसाऊ के नाम बना माफी खालसा होने पर भी राजस्व रिकार्ड अकेले श्रीराम वल्द रामेश्वर कौम महाजन के नाम रहा। जबकि वास्तव में विवादित आराजी के कोटिनेन्ट श्रीराम, बैजनाथ व जगदेव प्रत्येक का 1/3 हिस्सा रहा।

श्रीराम के देहान्त होने पर उसका 1/3 हिस्सा उसकी पुत्री लक्ष्मी देवी को ओर उसके पश्चात वादी संख्या 2 को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वादी संख्या 2 आराजी मुतनाजा के 1/3 हिस्से का कोटिनेन्ट हुआ। बैजनाथ के 1/3 हिस्से के टिनेन्सी राईटस उसके पुत्र राधाकिशन व मदनलाल को प्राप्त हुआ। राधाकिशन का वारिस वादी संख्या 3 बैजनाथ के 1/3 हिस्से में 1/6 हिस्से का तथा मदनलाल के वारिस वादी संख्या 1 व 4 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से के कोटिनेन्ट हुये। जगदेव के 1/3 हिस्से के टिनेन्सी राईटस उसके पुत्र बनवारीलाल को ओर उसके पश्चात उसके वारिसान वादी संख्या 5 से 7 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के कोटिनेन्ट हुये। ओर इसी अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के टिनेन्सी की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

राजस्व रिकार्ड में श्रीराम वल्द रामेश्वर की कौम ब्राहमण गलत दर्ज हुई। जिसकी कभी कोई जानकारी नहीं हुई। जबकि श्रीरू उर्फ श्रीराम पुत्र रामेश्वर कौम ब्राहमण नामक कोई व्यक्ति कस्बा बिसाऊ में पैदा नहीं हुआ। गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने एक दावा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरूद्व अदालत हाजा में दावा संख्या 20/2006 उनवानी मांगेलाल वगैरह बनाम हुनताराम वगैरह दिनांक 30.06.2007 को निर्णित करवा कर बहक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 6 व 7 की वंशावली वादपत्र की धारा 3 में दर्ज है। उक्त दावा में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया ना ही उक्त दावा की वादीगण को पहले कोई जानकारी रही। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त दावा संख्या 20/2006 के निर्णय व डिक्री से पाबन्द नहीं है। वादीगण के हितों के विरूद्व उक्त

व डिक्री शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ यह दावा पेश करना श्यक हुआ।

अंत में वाद बहक वादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.20 है0 सरहद मौजा बिसाऊ के खातेदार वादी संख्या 1 व 4 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 3 हिस्सा 1/6 एवं वादी संख्या 5 लगायत 7 हिस्सा 1/6 को कोटिनेन्ट धोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जावे। विकल्प के तौर पर यदि किसी कारणवश अदालत हाजा विवादित आराजी को संयुक्त परिवार की राजस्व रिकार्ड से नहीं माने तो उस सूरत में राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त आराजी का टिनेन्ट वादी संख्या 2 को धोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। दौराने दावा वादी संख्या 4 गंगाबाई का देहान्त हो जाने पर प्रार्थना पत्र नाम हजफ करने पेश किया गया। गंगाबाई के वारिसान पहले से दावे में पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र नाम हजफ स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 4 गंगाबाई के नाम के आगे मृतक शब्द लिखा गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एड0 महेशचन्द्र शर्मा, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से एड0 जाफर अली तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से एडवोकेट श्री कृष्णकुमार शर्मा ने अपना वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 व 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की ओर से राजकीय पैरोकार द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व की हानि नहीं हो तो दावा डिक्री किये जाने में कोई आपति नहीं होना जाहीर किया। प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बंद की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जवाब दावा में प्रारम्भिक आपत्तियां दर्ज कर कथन किया गया कि वादपत्र सुभाषचन्दं पुत्र मदनलाल की तरफ से पेश किया गया है जबकि मदनलाल के कोई संतान नहीं थी। सुभाषचन्द्र मदनलाल का लड़का नहीं है बल्कि ज्वालाप्रसाद का लड़का है। सुभाषचन्द्र ने अपने पिता का नाम छुपाकर मदनलाल का पुत्र बनकर दावा प्रस्तुत किया है जो छल कपट की परिभाषा में आता है। अतः प्रथमदृष्टया दावा खारिज होने योग्य है।

सुभाषचन्द्र पुत्र मदनलाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं होने से वादी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा तथाकथित मुख्तयारनामा गलत व फर्जी बनाया गया है। वादी संख्या 1 लगायत 7 का ना तो बिसाऊ में जन्म हुआ है ना ही बिसाऊ में उनकी कोई चल अचल सम्पति स्थित है ना ही बिसाऊ का इनके पास कोई दस्तावेज है इस प्रकार विवादित सम्पति पर पिछले 50 वर्षो से कभी भी इनका कब्जा नहीं रहा ना ही राजस्व रिकार्ड में इनका नाम है। इसलिये कब्जे व टाईटल के अभाव में वादपत्र चलने योग्य नहीं है। विवादित जमीन पर पिछले 50 वर्षो से कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 व 2

उनके पिताजी का रहा है। इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के तहत वा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

वादीगण द्वारा विवादित जमीन के संबंध में दिनांक 30.06.2007 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय की जानकारी होना माना है जबकि आज तक इनके द्वारा उक्त निर्णय डिक्री के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील या रीविजन प्रस्तुत नहीं कि गई है। उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है जिसकी भी वादीगण द्वारा कोई अपील नहीं की गई।

वादी संख्या 2 ऋषि कुमार पुत्र मदनलाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है ना ही ऋषि कुमार लक्ष्मीबाई का पुत्र है। लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र संतान नहीं थी। एकमात्र लड़की थी जिसका नाम पुष्पा है। जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऋषि कुमार के माता पिता का नाम गलत अंकित कर छल कपट किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा का मदवार जवाब पेश कर कथन किया है कि रामप्रताप जाति महाजन नाम का कोई व्यक्ति कस्बा बिसाऊ में नहीं था। रामप्रताप का सजरा गलत पेश किया गया है। ऋषि कुमार लक्ष्मीबाई का पुत्र नहीं था बल्कि लक्ष्मीबाई की एक संतान थी पुष्पा जिसे वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित समपति प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की जमीन है। गंगाबिशन का सजरा गलत पेश किया गया है गंगाबिशन के पिता का नाम श्योनन्द राम था श्योनन्दराम का सजरा जवाब दावा की धारा 3 में दर्ज किया गया है। विवादित जमीन श्रीराम पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण के खातेदारी की जमीन थी श्रीराम के कोई पुत्र संतान नहीं होने से उनके द्वारा भाई के लड़के परसाराम को गोद ले रखा था, जो उनका दत्तक पुत्र था। परसाराम बचपन से अपने पिता श्रीराम के साथ विवादित जमीन को काश्त करता था तथा श्रीराम के देहान्त होने के पश्चात भी करता रहा। परसाराम के जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित जमीन को काश्त करते थे। इस प्रकार विवादित जमीन पर पिछले 30 वर्षो से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त है, जो लगान अदा करते थे। वादपत्र की धारा 4 में संयुक्त हिन्दु परिवार की बात गलत है श्रीरू महाजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। श्रीराम वल्द रामेश्वर कौम महाजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकार मिलने की बात गलत है वादी संख्या 2 का विवादित जमीन से कोई संबंध नहीं है। वादीगण का विवादित जमीन पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। वादपत्र की धारा 5 में जो तथ्य पेश किये गये है वे झूठे व निराधार है श्रीराम पुत्र रामेश्वर कौम ब्राहमण प्रतिवादी न0 1 व 2 का दादा था, जिसके नाम से भू–राजस्व रिकार्ड सही बना है। वही विवादित जमीन का खातेदार काश्तकार था। निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2007 सही व वैद्य है। जिसे वादी द्वारा कभी चैलेंज नहीं किया गया है। वादी कभी कस्बा बिसाऊ में नहीं आया। वादीगण का दावा प्रथमदृष्टया खारिज होने योग्य है वादी ने गलत दावा पेश किया है इसलिये वादपत्र की धारा 13 की उपधारा क, ख, ग, ध, व ड़ में चाही गई सिद्वी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी खारिज फरमाया जावे तथा खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की ओर से भी उक्तानुसार जवाब दावा पेश कर वाद वादी खारिज फरमाया जाकर खर्चा मुकदमा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

जवाब देही पूर्ण होने पर वादीगण द्वारा पेश किये गये दावे में वादपत्र के तथ्यों एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेश किये गये जवाब के तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात के बिन्दु कायम किये गये :–

1. आया दावा की अनुतोष की मद में दर्ज अनुसार वादीगण खातेदार अधिकारों की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

   – भार वादीगण

2. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

   – भार वादीगण

3. आया वादीगण का दावा कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

   – भार प्रतिवादीगण

4. आया अदालत हाजा द्वारा विवादित आराजी बाबत पूर्व में दिनांक 30.06.2007 को निर्णय हो चुका है। इस कारण यह दावा पोषणीय नहीं है।

   – भार प्रतिवादीगण

5. आया सुभाषचन्द्र ने अपने पिता का नाम बदलकर छल एवं कपट से दावा प्रस्तुत किया है, इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

   – भार प्रतिवादीगण

6. आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत वादीगण कोदावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

   – भार प्रतिवादीगण

7. आया प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है, इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है।

   – भार प्रतिवादीगण

8. आया वाद मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है।

   – भार प्रतिवादीगण

9. दादरसी

   – भार प्रतिवादीगण

तनकीयात कायम होने के पश्चात वादी ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 16 डाले गये जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. प्रदर्श 1 – नकल जमाबंदी सम्वत 2012
2. प्रदर्श 2 – नकल जमाबंदी सम्वत 2016
3. प्रदर्श 3 – नकल खतौनी सम्वत 2019 से 2031
4. प्रदर्श 4 – नकल जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024
5. प्रदर्श 5 – नकल जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027
6. प्रदर्श 6 – नकल जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035

7. प्रदर्श 7 – नकल जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044
8. प्रदर्श 8 – नकल जमाबंदी सम्वत 2045 से 2048
9. प्रदर्श 9 – नकल मिलान क्षेत्रफल
10. प्रदर्श 10 – नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2005 दिनांक 12.05.2008
11. प्रदर्श 11 – नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2005 दिनांक 13.05.2008
12. प्रदर्श 12 – नकल आदेशिका दावा संख्या 20/2006 उपखण्ड अधिकारी झुझुनू दिनांक 07.02.2006 से 30.06.2007
13. प्रदर्श 13 – नकल दावा मुकदमा न0 20/2006 दिनांक 06.02.2006 मय शपथ पत्र
14. प्रदर्श 14 – नकल जवाब दावा मुकदमा न0 20/2006 मय शपथ पत्र 07.06.2006
15. प्रदर्श 15 – नकल निर्णय मुकदमा न0 20/2006 निर्णय दिनांक 30.06.2007
16. प्रदर्श 16 – नकल डिक्री उपखण्ड अधिकारी झुझुनू मुकदमा न0 20/2006 दिनांक 20.05.2014

वादी की ओर से साक्ष्य में पेश किये गये शपथ पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.04.2017 को जिरह की गई जिरह के बिन्दू इस प्रकार है :–

जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 – "मेरे पिता का नाम स्व. मदनलाल है मैने पत्रावली में मदनलाल का पुत्र होने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मेरे जायन्दा पिता का नाम ज्वालाप्रसाद है लेकिन ज्वालाप्रसाद जी ने सन् 1969 में मुझे स्व0 मदनलाल जी को गोद दे दिया था। इसलिए में मदनलाल जी का पुत्र हूं। गोदनामा पेश नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि मैं मदनलाल का दत्तक पुत्र नहीं हूं। यह कहना गलत है कि मैं कभी भी बिसाऊ में नहीं रहा हुआ हूं। यह कहना सही है कि मैंने पत्रावली में बिसाऊ का वासिन्दा होने का दस्तावेज पेश नहीं किया है सम्वत 2012 से हमारे पूर्वजो के नाम रही है हम बाहर होने के कारण वर्तमान में जानकारी नहीं है, यह सही है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत पूर्व में कोई वाद पत्र पेश नहीं किया है। दस्तावेज प्रदर्श 5 लगायत 10 में उक्त ख0न0 की भूमि ब्राहमणों के नामं गलत राजस्व रिकार्ड बनने से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है। यह सम्पति प्रारम्भ में श्रीराम महाजन पुत्र रामप्रताप के नाम से सम्वत 2012 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। गवाह ने अज खुद कहा कि श्रीराम के दादा का नाम रामप्रताप है उसके पिता का नाम रामेश्वरलाल है सम्वत 2012 में दावा में वर्णित भूमि श्रीराम उर्फ श्रीलाल महाजन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रामप्रताप के तीन जायन्दा पुत्र हुये। जो कमशः रामेश्वरलाल, बैजनाथ व जगदेव। यह सही है कि जमाबंदी सम्वत 2012 प्रदर्श1 में यह सम्पति रामेश्वरलाल के नाम दर्ज नहीं थी वरन उसके पुत्र श्रीराम के नाम थी। यह सम्पति अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति थी। मैं रामप्रताप के पुत्र बैजनाथ, बैजनाथ के पुत्र मदनलाल, मदनलाल का गोद का पुत्र हूं। यह कहना गलत है कि मांगीलाल ने कोई राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया हो। मैनें अनुतोष कीधारा 13 में यह सम्पति ब्राहमणें के नाम हो गयी है महाजनों के नाम की जावे यह बात मेने नहीं लिखी है। मैंने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 16 पेश किये है जिनके आधार पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने की इस्तदुआ की है। राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के संबंध में मैंने रिकार्ड प्रस्तुत किया है उसी के आधार पर मैंने

सिद्वी चाही है। यह कहना गलत है कि मै बिसाऊ का निवासी नहीं हूं। तथा बिसाऊ में हमारी सम्पती न हो। बिसाऊ में गंगाबिशन नाम का व्यक्ति था जिसकानाम सुना था उसके कितने पुत्र पुत्रियां है मुझे नहीं पता। हमारा खेत बिसाऊ में उत्तर दिशा में है हमारा खेत आबादी से दूर है मेरे खेत के दक्षिण दिशा की तरफ जटिया स्कूल है पश्चिम दिशा की तरफ आम सड़क है पूर्व व उत्तर दिशा में किन–किन लोगो के खेत है मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत मुख्तयारनामा गलत हो।"

दोराने दावा विचारण प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि ख0न0 619, 620, 787, 788 मोजा बिसाऊ की जमीन कदीमी कब्जा मानकर धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी प्राप्त हो गये। उक्त आदेश भू–प्रबन्धक अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 21.12.1972 के पर्चा खतोनी दी दी गयी थी। प्रतिवादी को पहले इस बात का नोलेज नही था। नकल मिलने पर नकल न्यायालय दाखिल कर दी गयी। उक्त ख0न का पर्चा खतोनी पचास साल पहले हो गया था जिसकी अपील करनी चाहिये थी श्रीमान को दावा सुनने का कोई अधिकार नही है अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 मंजूर किया जावे। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 भू–प्रबन्ध विभाग की पर्चा खतौनी को आधार बनाकर पेश किया गया था। जिसके समर्थन में प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत संदर्भ आरआरडी–1991 पेज न0 209 तेजूमल बनाम मोहनलाल पेश किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रश्नगत प्रकरण में लागू नहीं होने साथ ही प्रतिवादी के कथनानुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी की अपील की जानी चाहिए थी, पर्चा खतौनी किसी प्रकार का आवंटन/आदेश नहीं होने से उस पर अपिलीय प्रावधान लागू नहीं होते। उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारीज हो चुका है।

तत्पश्चात प्रतिवादी की ओर से पुनः एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 वादी सुभाषचन्द्र के गोदनामा को आधार बनाकर पेश किया गया। साथ में कथन किया गया कि वादी सुभाष सक्षम न्यायालय से अपने आपको मदनलाल का दतक पुत्र होना घोषित नहीं करवा लेवे तब तक राजस्व न्यायालय में वाद श्रवणार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता है। हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत मौखिक दत्तक ग्रहण जब तक सिविल न्यायालय से धोषित नहीं करवाले तब तक राजस्व न्यायालय को गोद का पुत्र तय करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये :–

1. आरआरडी मई, 2001 पेज 227 :– सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन नम्बर 15/2001 उनवानी पारा देवी व अन्य बनाम सुजाराम व अन्य निर्णय दिनांक 02.02.2001
2. आरआरटी 2012(2) पेज 1412 :– सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर अपील एलआर नम्बर 6787/2000 उनवानी हरीसिंह बनाम गणपत लाल निर्णय 21.08.2012
3. आरआरटी 2012(2) पेज 1417 :– सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन न0 4489/2012 उनवानी मेधाराम बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 10.07.2012

प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र भी प्रश्नगत प्रकरण में गोदनामा विवाद का विषयवस्तु नहीं होने ना ही वाद पत्र में वादी द्वारा गोदनामा को लेकर कोई अनुतोष चाहे जाने, केवल मात्र वादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में बने गलत रिकार्ड को, जो बाद में दुरूस्त भी

परन्तु जिसका आगे के रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया और जिसके कारण यह वाद उत्पन्न है, उसे दुरूस्त करने की घोषणा चाही गई है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत देश 7 नियम 11 किसी भी बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया।

प्रतिवादी द्वारा बार–बार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश किया गया। इस कारण विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 को समझना आवश्यक है। विधि के अनुसार आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जा चकता है :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दोनो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी, आदेश 7 नियम 11 के किसी भी प्रावधान के तहत पोषणीय नहीं है। अतएव दोनो प्रार्थना पत्र खारिज किये गये।

साक्ष्यप्रतिवादी पर प्रतिवादी मांगेलाल की ओर से अपने जवाब के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जाकर पेश किये गये दस्तावेज पर प्रदर्श–डाले गये जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 1 – नकल जमाबंदी सम्वत 2033–35
2. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 2 – नकल जमाबंदी सम्वत 2041–44
3. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 3 – नकल जमाबंदी सम्वत 2045–48
4. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 4 – नकल खतौनी सम्वत 2060 से 2080
5. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 5 – नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2005
6. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 6 – नकल मिलान क्षेत्रफल
7. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 7 – नकल प्रतिलिपि रसीद लगान 14.12.1993, 07.09.1992
8. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 8 – नकल प्रतिलिपि रसीद लगान 25.07.1994
9. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 9 – पासबुक
10. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 10 – नकल पर्चा खतौनी ख0न0 613, 620, 787
11. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 11 – नकल पर्चा खतौनी ख0न0 788
12. प्रदर्श डी.डब्ल्यू. 12 – नकल मिसल हकीयत

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में पेश किये गये शपथ पत्र पर विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 05.04.2022 को जिरह की गई जिरह के बिन्दू इस प्रकार है :–

जिरह द्वारा अधिवक्ता वादी – "विवादित भूमि ठिकाना बिसाऊ की भूमि थी यह बात सही है अज खुद कहा। भूमि ठिकाना खालसा हुई उसके पश्चात किसको मिली मेरे को पता

नहीं है। यह बात सही है भूमि खालसा होने के पश्चात श्रीराम वल्द रामेश्वर कौम महाजन के नाम दर्ज हुई। सम्वत 2012 में विवादित भूमि शीरू पुत्र रामेश्वर कौम महाजन के नाम दर्ज रही, इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था। विवादित भूमि सम्वत 2016–19 में यह भूमि शीरू पुत्र रामेश्वर कौम महाजन के नाम रही इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि विवादित जमीन में महाजन का ब्राहमण कैसे हुआ, महाजन से ब्राहमण होने का कोई नामान्तरकरण पेश नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता यह जमीन शीरू उर्फ श्रीराम पिता रामेश्वर के नाम सम्वत 2012 से 31 तक रही है मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि श्रीराम पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण बिसाऊ में कोई व्यक्ति नहीं था। सम्वत 1999 की जमाबंदी में खातेदार के कॉलम में श्रीराम वल्द रामेश्वर कौम महाजन दर्ज है प्रदर्श–डी10 व प्रदर्श–डी11 पर्चा खतौनी में खाता नम्बर 582, 585 लिखा हुआ है जो किसी भी जमाबंदी का खाता नम्बर नहीं है। मैं नहीं जानता श्रीराम रेखाराम कौन थे। मैनं प्रदर्श–डी7 जो लगान की रसीद पेश की है सन् 1993 की है तथा प्रदर्श–डी8 1994 की है। 1993, 1994 से पूर्व की लगान की कोई रसीद पेश नहीं की है। सम्वत 2031 से पूर्व की कोई लगान की रसीद पेश नहीं की है इस जमीन की खातेदारी हमारे नाम कैसे दर्ज हुई इसका कोई दस्तावेज मैने पेश नहीं किया है। मांगेलाल व विजय कुमार ने हनुताराम व रामौतार को पक्षकार बनाकर दावा पेश किया था। हनुताराम व रामौतार का राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं था फिर भी पक्षकार बनाया गया क्योंकि वे श्रीराम के गोद थे इसलिये पक्षकार बनाया गया। हम पांच भाई–बहिन है सबसे बड़ी बहन मुन्नी उससे छोटी सरोज, उससे छोटा मांगेलाल, उससे छोटा विजय कुमार सबसे छोटी बाई धोटा है हमारी मां 2006 में भी जीवित थी अभी भी जीवित है हमने दावा किया उसमें मेरी मां व बहनों को पक्षकार नहीं बनाया है यह बात सही है। हनुताराम और रामौतार दो भाई एक बहन है बहन का नाम पान्ना बाई था। यह बात सही है कि बहन व बहन के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया। हमारे पास गोद का कोई दस्तावेज नहीं है इसलिये हमने पूर्व में जो दावा पेश किया था उसमें गोद का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था। यह बात सही है कि मैंने पूर्व में जो दावा किया उसमें सम्वत 2032 से पूर्व का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया था। सन 1992 से पूर्व की कोई रसीद पेश नहीं की। 1992 से पूर्व की कोई रसीद नहीं होने के कारण नहीं पेश की गई। मुझे नहीं पता सम्वत 2032 के बाद का राजस्व रिकार्ड किसके नाम है यह बात सही है पूर्व में जो दावा पेश किया उसमें वंशावली नहीं पेश की गई थी। आत्माराम के तीन भाई थे आज खुद कहा दो भाई है। उनकी कितनी बहन है मुझे ध्यान नहीं है। आत्माराम जी दो भाई थे आत्माराम व लादूराम। इनके पिता का नाम गंगाबिशन जी था। यह सही है कि पूर्व के दावे में मैंने कोई वोटरलिस्ट व राशन कार्ड पेश नहीं किया था। मुझे मालुम नहीं है कि विवादित भूमि रामेश्वर, बैजनाथ व जगदेव की थी हम तो केवल इतना जानते है कि यह जमीन हमारी थी। मुझे नहीं पता रामेश्वर लाल के शीरू उर्फ श्रीलाल उर्फ श्रीराम नाम का बेटा था। मुझे नही पता कि शीरू उर्फ श्रीराम उर्फ श्रीलाल के नाम 15.10.1955 को खातेदारी नाम थी। और शीरू उर्फ श्रीराम उर्फ श्रीलाल पुत्र रामेश्वर की खातेदारी खत्म होने का आदेश पत्रावली में नहीं है। हमने 2006 को दावा किया था। दावा दो तीन साल चला था। यह कहना गलत है कि वो दावा हमने साज करके पेश किया था। यह कहना भी गलत है कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

दावा हमने कोई साज करके डिक्री करके कराया हो। यह बात भी सही है कि पूर्व में जो दावा किया गया थाउसमें गोद लिये जाने, दिये जाने की कोई रस्म का उल्लेख नहीं किया गया था इस जमीन में कुआ बना हुआ है। कुआं काफी पुराना है यह नहीं बता सकते कितना पुराना है। यह बात सही है यह पुराना कुआ है जिसके बडे मरवे बने हुये है कोठा व खेल भी बनी हुई है। खेल पानी की भरती थी यह बात सही है। कुआ पुराने समय से हमारे अधिकार में है किसने बनाया हमे नहीं पता। यह कहना गलत है कि कुआं श्रीराम या उनके दादा पड़दादा ने बनाया हो, पता नहीं उनके दादा पड़दादा ने बनाया हो। कुएं की मरम्मत हमने करवाई है। यह बात सही है कुएं पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन पर श्रीराम पुत्र रामेश्वर के वारिसों का कब्जा है, कब्जा हमारा है। आत्माराम के दो लड़के है फिर कहा तीन लड़के है। बड़ा लड़का परसाराम फिर हनुताराम छोटा रामौतार थ।धासीराम हमारे परिवार में कोई नहीं था। श्यामसुन्दर आत्माराम का बेटा था। लादूराम, आत्माराम दो भाई थ। लादूराम जी के डेडराज, सीताराम दो लड़के थे सीताराम के दो लड़के पवन कुमार, रामगौपाल दो लड़की पुष्पा व संतोष है जमीन के नये खसरा नम्बर 619, 620, 787 है पुराना 394, 395 और 370 है और याद नहीं है। यह कहना गलत है कि यह जमीन महाजनों की थी यह जमीन हमारी है हमें या भी नहीं पता यह जमीन किसकी थी पुराने समय से हम जोतते है हमारा कब्जा है यह कहना भी गलत है कि मैंने झुठे बयान दिये है/दे रहा हूं।"

साक्ष्य एवं जिरह पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस श्रवण की गई। सर्वप्रथम बहस वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तनकीयात संख्या 1 पर बहस के दौरान जवाब दावा में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि हमारी खातेदारी सम्वत 2012 (15.10.1955) से है। सम्वत 2012 की जमाबंदी प्रदर्श–पी1 में सीरू पुत्र रामेश्वर कौम महाजन खुदकाश्त ख0न0 370, 395, 394 दर्ज रहा है। प्रदर्श–पी2 जमांबदी सम्वत 2012 से 2019 में भी कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण में बतौर काश्तकार दर्ज है। सम्वत 2031 के सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त (सम्वत 2019 से 2031) के कॉलम संख्या 4 नाम कृषक विवरण में श्रीराम वल्द रामेश्वर कोम महाजन दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2021 से 24 में खातेदार श्रीराम पुत्र रामेश्वर कौम ब्रहमण दर्ज हुआ है जो किसी सक्षम आदेश/डिक्री से नहीं हुआ है। यह एक लिपीकीय त्रृटि है जो जानबुझकर या सहवन से हुई है। इसी जमाबंदी के कॉलम संख्या 16 वि.वि. में पर्चा 148 का वर्णन है इस प्रकार कोई पर्चा खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं कर सकता, रिकार्ड पर कोई पर्चा संख्या 148 उपलब्ध नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने बहस के इस बिन्दू पर कथन किया कि वादी का दावा कब्जे के बिना चलने योग्य नहीं है 50 वर्ष से हम खातेदार है, माननीय सर्वोच्य न्यायालय का भी फैसला है। मिसल हकीयत में सीरू पुत्र रामेश्वर कौम महाजन है इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। परन्तु विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय के उस आदेश की प्रति अथवा आदेश पर स्पष्ट तथ्य पेश नहीं किया जिसका उल्लेख ऊपर विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान किया था। साथ ही कथन किया कि पूर्व में दावा पेश किया गया था जिसका निर्णय हो चुका है अतः नवीन दावा नहीं चल सकता।

मिलान क्षेत्रफल पर दोनो पक्षों का कोई विवाद नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रदर्श–पी12 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुझुनू में किया गया वाद संख्या 20/2006 उनवानी मांगेलाल वगैरह बनाम हनुताराम वगैरह पर अपनी बहस में बिन किया कि दावा उनवानी दावा में कोई सजरा/वंशावली नहीं दर्ज की गई। जबकि प्रश्नगत वाद में वादी की ओर से अपने दावे के समर्थन में पेज संख्या 5 पर वंशावली/सजरा पेश किया है। जिसमें आत्माराम, लादूराम पुत्रान गंगाबक्स है जो प्रतिवादीगणों का सजरा है। पेज संख्या 3 पर वादीगण का सजरा पेश किया गया है जिसमें रामेश्वरलाल का पुत्र श्रीरू उर्फ श्रीलाल उर्फ श्रीराम स्पष्ट बताया गया है। साथ ही दावे की मद संख्या 4 में स्पष्ट किया गया है कि रामेश्वर, बैजनाथ व जगदेव का पहले संयुक्त हिन्दु परिवार रहा। रामेश्वर इस संयुक्त हिन्दु परिवार का मुखिया रहा। रामेश्वरलाल के देहान्त के पश्चात उसका पुत्र श्रीरू तथा बैजनाथ व जगदेव का संयुक्त हिन्दु परिवार रहा। वादग्रस्त भूमि तत्कालीन ठिकाना बिसाऊ की भूमि थी, ठिकाना ने उक्त संयुक्त परिवार को भूमि माफी में दी थी। इस प्रकार हमारे श्रीरा, बैजनाथ व जगदेव प्रत्येक 1/3 हिस्सा रहे। दावा में वर्णित वादी व प्रतिवादी विचाराधीन वाद में प्रस्तुत सजरे के अनुसार परसाराम के पुत्र मांगेलाल व विजय कुमार हैं जिन्होने हनुताराम व रामावतार को प्रतिवादी बनाया है, जो आत्माराम के बेटे है, इन्होने अपने दावे की मद संख्या 2 में श्रीराम पुत्र रामेश्वर की जमीन बताकर उसके कोई वारिस नहीं होना जाहिर कर आत्माराम के लड़के परसाराम को गोद बनाकर दावा किया। यदि यह सही होते तो पक्षकारान को पार्टी बनाना चाहिए था, ना ही गोदनामा की प्लीडिग की है ना ही गोदनामा पेश किया है। इनके दावे के मद संख्या 3 में उक्त भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी की मांग की है। मद संख्या 4 में श्रीराम पुत्र रामेश्वर का दत्तक पुत्र परसाराम बताया है। इस प्रकार प्रतिवादी से इकबाली जवाब दिलवाकर अपने पक्ष में फैसला कराया है। निर्णय के मद संख्या 8 में जो साक्ष्य पेश किये वो सम्वत 2032–35, 45–48, 2059–62 व रसीद लगान 07.09.1992 व 14.12.1993, 25.09.1994 है। इसके साथ मौखिक साक्ष्य वादीगणों के आधार पर दावा डिक्री करा लिया। उक्त दावा में हमारी भूमि होने के बावजूद हमे पक्षकार नहीं बनाया गया। जिरह में मांगेलाल ने इस बात स्वीकार किया है कि सम्वत 2012 में विवादित भूमि सीरू पुत्र रामेश्वर कौम महाजन के नाम दर्ज हुई है। सम्वत 2016–19, 2012–31 तक जमाबंदी पेश नहीं की, पर्चा खतौनी 582, 585 के बारे में लिखा है, किस खाते की है जानकारी नहीं है। सन! 1993–94 से पहले की रसीद नहीं है। इस प्रकार हम सम्वत 2012 में खातेदार थे, हमें बिना किसी नोटिस दिये दावे में प्रतिवादी बनाये बिना, तथ्यों को छुपाकर डिक्री करवा ली गई जो हमारे हक अधिकारों तक शून्य है। हमें खातेदार धोषित किया जावे। तनकी संख्या 1 हमारे पक्ष में बखूबी निर्णित होती है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से कथन किया गया कि वाद पत्र के पेज संख्या 3 में वादी के सजरा के अनुसार ऋषि कुमार सीरू का लड़का है जबकि वादपत्र के उनवान में वादी संख्या 2 ऋषि कुमार को मदनलाल का पुत्र बताया गया है। इस प्रकार दोनो तथ्य भिन्न–भिन्न पेश किये गये है। सम्वत 2012 में जो काश्त करता था, वो ही खातेदार होता था यह प्रावधान था। ओर उसके अनुसार हम इस भूमि को काश्त करते थे इसलिये वादग्रस्त भूमि के खातेदार हम है। वादग्रस्त भूमि को महाजनों ने कभी काश्त नहीं किया। वादी सुभाष ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादी सुभाष बिसाऊ में पैदा नहीं हुआ। पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू द्वारा

स्त भूमि के संबंध में पारित निर्णय दिनांक को वादी द्वारा चेंलेज नहीं किया गया है। इस र दावा बिना कब्जे एवं पूर्व में निर्णित होने से चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण करने के पश्चात हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी टीनेन्सी पर निर्णय किया जाना है। वादी व प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा पेश की गई दलीलों को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात के आधार प मध्यनजर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा के बिन्दू पर निर्णय किया जाना है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वादग्रस्त भूमि की जमांबदी सम्वत 2012 से 2031 तक में श्रीराम पुत्र रामेश्वर कौम महाजन दर्ज होना बताया है जिसकी पुष्टि जमाबंदी के अवलोकन से होती है। सम्वत 2012 की जमाबंदी में सीरू पुत्र रामेश्वर कौम महाजन खुदकाश्त ख0न0 370, 395, 394 दर्ज है। जमांबदी सम्वत 2012 से 2019 में भी कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण में बतौर काश्तकार दर्ज है। सम्वत 2031 के सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त (सम्वत 2019 से 2031) के कॉलम संख्या 4 नाम कृषक विवरण में श्रीराम वल्द रामेश्वर कोम महाजन दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2021 से 24 में खातेदार श्रीराम पुत्र रामेश्वर कौम ब्रहमण दर्ज हुआ है। इसी जमाबंदी के कॉलम संख्या 16 वि.वि. में पर्चा 148 का वर्णन है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है कि पर्चा किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं कर सकता। इस बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा इसके खण्डन में कोई दलील पेश नहीं की गई, ना ही कोई संतोषप्रद जवाब न्यायालय के समक्ष पेश किया जिससे यह साबित हो सके कि वास्तव में पर्चा 148 प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिऐ सक्षम स्तर से जारी किया गया कोई आदेश है। पर्चा 148 दस्तावेज पत्रावली में भी उपलब्ध नहीं है। इससे एक तथ्य तो स्पष्ट है कि जिस पर्चा 148 से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन हुआ है वह किसी सक्षम स्तर से जारी कोई आदेश अथवा डिक्री नहीं है। और यदि यह पर्चा 148 किसी सक्षम स्तर से जारी कोई आदेश/डिक्री नही है तो उसके आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो सकते और इसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में किया गया परिवर्तन खातेदार के न्यायिक हितों के विपरीत होने से शून्य है।

साथ ही विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुझुनू में किया गया दावा वाद संख्या 20/2006 उनवानी मांगेलाल वगैरह बनाम हनुताराम वगैरह में खातेदार को पक्षकार नहीं बनाकर तथ्यों का छुपाकर कुटरचित तरीके से दावा डिक्री कराये जाने का उल्लेख किया है। इस संबंध में वादी अधिवक्ता की ओर से पेश की गई दलीलों एवं तथ्यों की पुष्टि हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू में किये गये वाद पत्र एवं निर्णय का अवलोकन किया गया। वादपत्र, निर्णय एवं दस्तावेजात के अवलोकन से इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त वाद में सम्वत 2031 से पूर्व के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया, ना ही पूर्व का रिकार्ड दावे के दौरान पेश किया गया। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के मध्यनजर दावा दायरी के दौरान सम्पूर्ण रिकार्ड पेश कर सभी पक्षकारान को वाद में शामिल कर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। तमाम साक्ष्य सबूतों, उपलब्ध दस्तावेजात एवं विद्वान अधिवक्तागण

श पेश की गई दलीलों के मध्यनजर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत ता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर कस्बा बिसाऊ पटवार मण्डल बिसाऊ स्थित भूमि गत आराजी खसरा नम्बर 370 तादादी 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 394 तादादी 3 बीधा 17 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 394 तादादी 11 बिश्वा कुल किता 3 कुल तादादी 4 बीधा 14 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 787 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.20 है0 में वादी संख्या 1 व 4 को संयुक्त रूप से 1/3, वादी संख्या 2 को 1/3 व वादी संख्या 3 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 5 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वादीगणों को भूमि के उपयोग उपभोग में दखल नहीं करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर